न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 6/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. नाथु पिता मोहन जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पेमा पिता मोहन जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपडा जरिये प्रधानाचार्य राजकीय

उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर कमांक प.12/3 (763)राज/आवं/14/4537 दि. 18.11.2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री खेमराज राज डांगी अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी मावली के पत्र कमांक 722 दिनांक 17–11–2014 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–11–2014 से ग्राम लोपडा की बिलानाम आराजी नंबर 406 रकबा 6.12 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपडा के पक्ष में निःशुल्क आवंटन किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–02–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 19–12–2016 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद पस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 406 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का का संवत् 2051 का नाजायज कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने इस भूमि पर काफी खर्चा कर इसे आबादान किया है तथा फसले बोकर अपने परिवार का जीवन निर्वहन करता है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने के कारण उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, अपीलान्ट नाजायज कब्जे के आधार पर अपने आपको प्रभावित पक्षकार मानता है, जबकि अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। तद्नुसार अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट नाजायज कब्जे के आधार पर नियमन करवाना चाहता है। जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर मात्र अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम आराजी का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में राजकीय विद्यालय हेतु विधिवत आवंटन किया गया है। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–11–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर